

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

अतिरिक्त सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़,

वेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 05.04.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1049/2006-CHA

3388

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ़ ।

Diversion of 16.9 hec of forest land for rehabilitation from Tran-Taran Chabal Atari road
Km 0-40.5 B/S Forest Division & Distt. Amritsar, Punjab.

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3196/
6855 दिनांक 29.09.2006 एवं दिनांक 14.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की
पारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 16.9 हैक्टेयर वन भूमि
के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष / पौधे कटवाये जायेंगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 618 trees 196 poles and 3200 plants से अधिक नहीं होगी
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Rakh Sarai Amant Khan में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रु 47,83,835/- (रु सत्तालिस लाख तिरास्सी हजार आठ सौ पैंतीस मात्र) की राशि से किया जायेगा।
प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
5. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) , ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स , फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायेगी ।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

Contd...2

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

- प्रतिलिपि:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
 2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
 3. Divisional Forest Officer, Amritsar, Punjab.
 4. The Executive Engineer Central Works Division No. 2, PWD B&R Br. Amritsar, Punjab.
 5. गार्ड फाईल ।

स्वयं एडवॉकेट
दिनांक 18-11-07
महाराष्ट्र के वन
विकास, उद्योग, श्रम
मंत्रालय
नई दिल्ली
109
महाराष्ट्र
मंत्रालय
नई दिल्ली
18/11/07